



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89/संस्था.एलएम-1(245)/2022

जयपुर, दिनांक 06/08/2024

अधिसूचना

संख्या एफ 89/संस्था.एलएम-1(245)/2022:- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या-427/2020 में दिनांक 26.05.2021 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देश *That is to say, the position of the writ petitioners in the writ petitions shall not be altered by any means.* के क्रम में, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 89/संस्था.एलएम-1(245) 2022 दिनांक 24 अगस्त 2023 को, जिसके द्वारा श्री जितेन्द्र सचदेवा, निरीक्षक विधिक मापविज्ञान को आगामी आदेश तक सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के लिए अधिसूचित किया गया था; को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करती है तथा अधिसूचना संख्या एफ 89/संस्थापन/ (एलएम)-01(01)/2017 (पार्ट-II) दिनांक 09.10.2019 जिसके द्वारा श्री सचदेवा को निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान अधिसूचित किया गया, वह माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक यथावत रहेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव



उपभोक्ता मामले विभाग, आर.टी.डी.सी. मुख्यालय का प्रथम तल (होटल स्वागतम परिसर) जयपुर, राजस्थान।
वेबसाइट: consumeraffairs.raj.nic.in मेल आईडी ddca@rajasthan.gov.in दूरभाष 0141-2209756

D:\2020\Consumer\CONSUMER ORDER 2020 6 | P a g e